

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समाप्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को नाम से ही किया जाये कि किसी अन्य एकाधिकारी को नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये तिलसे सुधिया हो।



ग्राम : दूलीवर्गिरी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(ग्वालियर)
2442462 (निगास)
फैक्स : (0091)-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/4678

दिनांक : 21/03/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.सी.ए. प्रथम वर्ष, बी.कॉम. प्रथम वर्ष प्लेब/कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अति.वि), बी.ए. प्रथम वर्ष (आ.पा. इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय तीन माह के अंदर प्राचार्य शिक्षको, लाईब्रेरियन एवं खेल शिक्षक की नियुक्ति 28(17) के अंतर्गत करें।
2. महाविद्यालय खेल मैदान अपनी भूमि पर विकसित करें।
3. एक लाख की पुस्तकें क्रय की जावे।
4. महाविद्यालय को शासन द्वारा तय समय सीमा में स्वयं के भवन का निर्माण करना होगा। वर्तमान भवन में अगले वर्ष हेतु पर्याप्त जगह नहीं है, इसीलिए अगले वर्ष नये भवन में महाविद्यालय को स्थानान्तरित किया जावे।
5. 28(17) का पालन किया जावे।
6. समय 2 पर शासी निकाय की बैठके आयोजित की जावे।

सीट संख्या -

बी.ए.-60,

बी.कॉम.-60,

बी.सी.ए. -60

प्रस्तावित/संचालित/बी.सी.ए. प्रथम वर्ष, बी.कॉम. प्रथम वर्ष प्लेब/कम्प्यूटर एप्लीकेशन

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, मुरैना।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)